

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/9582

दिनांक - 08.12.25

प्रार्थीनी बनाम  
1 प्रेमकंवर पत्नी  
जबरसिंह जाति रावणा  
राजपूत निवासी रोहिड़ा  
पाड़ा बाड़मेर तहसील  
व जिला बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

1 कमलसिंह पुत्र हड्डुमानसिंह 2 चुकीदेवी पत्नी भीमसिंह 3 स्वरूपसिंह  
पुत्र हड्डुमानसिंह जाति रावणा राजपूत 4 सुनिल के मेराजा पुत्र  
कानाराम जाति कुगावत 5 गोरधनसिंह पुत्र जोगराजसिंह 6 अनिलसिंह  
पुत्र पीरसिंह 7 गोविन्दसिंह 8 दानसिंह पिसरान शंकरसिंह 9 विनोद  
दवे पुत्र गोपाल दवे 10 सायर कंवर पत्नी पीरसिंह जाति रावणा  
राजपूत निवासी बाड़मेर गादान 11 अर्जुनसिंह पुत्र अमरसिंह 12  
जितेन्द्रसिंह पुत्र सगतसिंह 13 पदमादेवी पत्नी सगतसिंह 14  
मुकेशसिंह 15 मोतीसिंह 16 रमेश कुमार पिसरान चन्दनसिंह 17  
राजूसिंह 18 शंकरसिंह पिसरान अमरसिंह 19 शांतिदेवी पत्नी  
चन्दनसिंह 20 सुगनासिंह पुत्र सगतसिंह 21 संतोष पुत्री सगतसिंह  
जाति पुरोहित निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 306/2025 दिनांक-

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 2801/2340 रकबा 3.5612 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए  
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 08.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/9583-86

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रेमकंवर पत्नी जबरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रोहिड़ा पाड़ा बाड़मेर तहसील व जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कमलसिंह पुत्र हड्डुमानसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व  
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

